रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 2010/अग्रहायण 3, 1932 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 202
No. 180] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 2010/AGRAHAYANA 3, 1932 [N.C.T.D. No. 202

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 24 नवम्बर, 2010

सं. एफ एंड एस/ईंधन शाखा/5(1)/94/2002/पी.एफ. वोल्यूम II/1611-1626.—दिल्ली आवश्यक वस्तु (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1977 के खंड 4 के उपबंध के अनुसरण में और इस संबंध में जारी समस्त पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के माननीय उपराज्यपाल इसके द्वारा मिट्टी के तेल से संबंधित उक्त आदेश के साथ संलग्न अनुसूची में मद संख्या 5 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां तुरंत प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं, अर्थात् :—

मद संख्या	पदार्थ	अधिकतम थोक मूल्य	मूल्य की इकाई	अधिकतम खुदरा मूल्य	मूल्य की इकाई	कैफियत
5	मिट्टी का तेल बढ़िया किस्म					
क	बिजवासन डिपो पर किसी एजेंट को तेल कंपनियों द्वारा बेचे जाने के थोक भाव	11538.57 रु. (ग्यारह हजार पांच सौ अड़तीस रुपए तथा सत्तावन पैसे मात्र)	प्रति किलोलीटर	–	–	वैट सहित
ख	जब व्यापारियों/फेरीवालों/थोक में एजेंट द्वारा बिक्री की गई हो	12180.94 रु. (बारह हजार एक सौ अस्सी रुपए तथा चौरानवे पैसे मात्र)	प्रति किलोलीटर	–	–	वैट सहित
ग	जब किसी खुदरा विक्रेता एवं फेरीवाले के द्वारा उपभोक्ता को बिक्री की गई हो	12368.89 रु. (बारह हजार तीन सौ अड़सठ रुपए तथा नवासी पैसे मात्र)	प्रति किलोलीटर	12.37 रु. (बारह रुपए तथा सैंतीस पैसे मात्र)	प्रति लीटर	वैट सहित

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
जय श्री रघुरमन, सचिव

OFFICE OF THE COMMISSIONER : FOOD SUPPLY AND CONSUMER AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 24th November, 2010

No. F & S/Fuel/5(1)/94/2002/P.F. Vol-II/1611-1626.—In pursuance of the provisions of clause 4 of the Delhi Essential Articles (Price Control) Order, 1977 and in suppression of all previous orders issued in this behalf, the order of Hon'ble Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby Conveyed for substituting the existing entry at item No. 5 in the Schedule appended to the said Order relating to kerosene oil, with immediate effect with the following entry, namely :—

Item No.	Articles	Whole Sale Price	Unit of Price	Max Retail Price	Unit of Price	Remarks
5	Kerosene Oil (Superior Quality)					
A	When sale is made by Oil Depot to an agent at Bijwasan, Delhi in bulk.	11538.57 (Rs. Eleven thousand five hundred and thirty eight and paise fifty seven only)	Per KL	—	—	Inclusive of VAT
B	When sale is made by agent to retailers/Hawkers in bulk.	12180.94 (Rs. Twelve thousand one hundred eighty and paise ninety four only)	Per KL	—	—	Inclusive of VAT
C	When sale is made by a Retailer & Hawker to Consumer.	12368.89 (Rs. Twelve thousand three hundred sixty eight and paise eighty nine only)	Per KL	12.37 (Rs. Twelve and paise thirty seven only)	Per Ltr.	Inclusive of VAT

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

JAYSHREE RAGHURAMAN, Secy.

गृह विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 नवम्बर, 2010

सं. फा. 10/सी-47/एमई/2010/ गृह पुलि.-II/7645-56. —जबकि 15 नवम्बर, 2010 को ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर के पास, जिला पूर्वी एक इमारत के ढहने के कारण दुखद घटना हुई जिसमें अनेक लोगों की मृत्यु हुई और अनेक लोग घायल हुए ।

और, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का मत है कि उपरोक्त दुर्घटना से संबंधित समस्त सुसंगत तथ्यों तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए सार्वजनिक महत्व के इस निश्चित मामले की जांच करने के उद्देश्य के लिए जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है।

अब इसलिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 20 अगस्त, 1966 की अधिसूचना सं. फा. 2/4/66-यूटी के साथ पठित जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री लोकेश्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय नामक एक सदस्यीय ''जांच आयोग'' का गठन करते हैं ।

आयोग के विचारणीय विषय निम्न प्रकार होंगे :—

1. इमारत ढहने के तत्काल और संभावित कारणों का निर्धारण करना;

2. इमारत ढहने की परिस्थितियां और घटनाक्रम का निर्धारण करना;

3. इस इमारत के ढहने तथा पूर्वी दिल्ली में तैयार इमारतों के असुरक्षित ढ़ांचे के लिए व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों की जिम्मेदारी तय करना;

4. पूर्वी दिल्ली में पहले से बनी इमारतों अथवा बनने के लिए प्रस्तावित इमारतों के ढांचागत सुरक्षा पहलुओं के मूल्यांकन में लगे विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों के प्रशासनिक, प्रक्रियागत तथा सांविधिक कमियों का निर्धारण करना;

5. वे उपाय सुझाना जो भ्रष्टाचार से लड़ने के उपाय बताना तथा असुरक्षित इमारतों के निर्माण के लिए संबद्ध सरकारी कर्मचारियों को जवाबदेह बनाना।

और, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिमत है कि प्रस्तावित जांच की प्रकृति तथा प्रकरण की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उप-धारा (2), (3), (4) एवं (5) के सभी उपबंध उक्त आयोग पर लागू होने चाहिए, उक्त धारा 5 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत उपराज्यपाल एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि पूर्वोक्त सभी उपबंध उक्त आयोग पर लागू होंगे।

आयोग इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर जांच पूर्ण कर उपराज्यपाल दिलली को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
एस. बी. शशांक, अतिरिक्त सचिव

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th November, 2010

No. F 10/C-47/ME/2010/HP-II/7645-56.—Whereas a tragic incident occurred on 15th November, 2010 when due to collapse of a building at Lalita Park, Laxmi Nagar, District East Delhi, a number of people lost their lives and many got injuries.

And whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the view that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into the this definite matter of public importance, namely, the need for ascertaining all the relevant facts and circumstances relating to the above incident.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) read with Notification No. F. 2/4/66-UT, dated 20th August, 1966, issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby, appoints a Commission of Inquiry consisting of a single member, namely, Sh. Lokeshwar Prasad, retired Justice, Delhi High Court.

The terms of reference of the Commission shall be as under :—

1. to determine the immediate and proximate causes for the collapse of the building,
2. to determine the circumstances and sequences of events leading to the collapse of the building,
3. to fix responsibility, both individual and institutional, for the collapse of this building and for buildings already built that are unsafe structurally in East Delhi,
4. to determine the administrative, procedural and statutory lapses of various departments and agencies to evaluate structural safety aspects of buildings already built or proposed to be built in East Delhi and to recommend remedial measures,
5. to recommend measures that will combat corruption and make concerned public servants accountable for construction of unsafe building.

And whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is of the opinion that having regard to the nature of inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of Section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) should be made applicable to the said Commission, the Lt. Governor, hereby directs under sub-section (1) of said Section 5 that all the provisions aforesaid shall apply to the said Commission.

The Commission shall complete the inquiry and report to the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi within 90 (ninety) days from the date of issue of this notification.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
S. B. SHASHANK, Addl. Secy.

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 नवम्बर, 2010

सं. फा. 1(468)/99/स.प्र./स्था./डीसी/पार्ट फा./1609.— पूर्व अधिसूचना सं. एफ. 1 (468)/99/स.प्र./स्था./डीसी/पार्ट फा. 678, दिनांक 12-5-2009 के अधिक्रमण में एवं वक्फ अधिनियम, 1995 (43 के 1995), की धारा 83(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री एल. के. गौड़, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को वक्फ ट्रिब्यूनल का पीठासीन

अधिकारी नियुक्त करते हैं । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी प्रकार के विवाद, निर्णय प्रश्न और दूसरे अन्य मामले जोकि वक्फ सम्पत्ति से संबंधित हैं तथा वक्फ अधिनियम, 1995 और दिल्ली वक्फ नियम, 1997 के अन्तर्गत उन्हें शक्तिां प्रदान करते हैं ।

श्री एल.के. गौड़, अपने कार्य के अतिरिक्त जो कार्य उन्हें प्रदान किया गया है इस ट्रिब्यूनल में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे । वह अपना वेतन न्यायिक सेवा में अपने वेतनमान पर ही प्राप्त करेंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
कुलदीप सिंह गंगर, अति. सचिव

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th November, 2010

No. F. 1(468) /99/GA/Estt./DC/Part File/1609.—In supersession of the previous notification No. F 1(468) /99/ GA/Estt. /DC/Part file/678, dated 12-5-2009 and in exercise of the powers conferred under Section 83 (1) of the Wakf Act, 1995 (43 of 1995), and all other powers relevant enabling him in this regard, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, appoints Sh. L. K. Gaur, an officer of Delhi Higher Judicial Service as the Presiding Officer of Wakf Tribunal, for the National Capital Territory of Delhi for the determination of any dispute, question or other matter relating to Wakf properties under the Wakf Act, 1995 and the Delhi Wakf Rules, 1997.

Sh. L.K. Gaur will work as Presiding Officer of this Tribunal in addition to the work already assigned to him. He will draw his salary in his own scale in the Judicial Service.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
KULDEEP SINGH GANGAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.